कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बाराबंकी

आदेश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगतं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सीमित न्यायालयों द्वारा ही केवल नवीन संस्थित आवश्यक प्रार्थना पत्रों की सुनवाई वर्चुअल मोड/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से की जा रही है। इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसर में अधिवक्तागण एवं वादकारियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है, तथा सीमित संख्या में ही कर्मचारीगण को न्यायालय परिसर में आने की अनुमति है। उक्त के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय बाराबंकी के समस्त न्यायालयों में पूर्व से सुनवाई हेतु नियत वादों में निम्नानुसार सामान्य तिथियां नियत की जा रही है।

क्रमांक	पूर्व नियत तिथि	अग्रिम नियत सामान्य तिथि
01	07.06.2021	09.07.2021
02	08.06.2021	12.07.2021
03	09.06.2021	13.07.2021
04	10.06.2021	14.07.2021
05	11.06.2021	15.07.2021
06	14.06.2021	16.07.2021
07	15.06.2021	17.07.2021
08	16.06.2021	19.07.2021
09	17.06.2021	20.07.2021
10	18.06.2021	22.07.2021

जमानत प्रार्थना पत्रों व विचाराधीन बंदियों के वादों में, सम्बन्धित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा अलग से तिथि नियत की जा सकती है। **यदि कोई भी दीवानी वाद माह जून में नियत हो तो उसकी तिथि सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अपनी सुविधानुसार निर्धारित कर सकते हैं।**

नोडल अधिकारी कम्प्यूटर/सिस्टम आफिसर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी अग्रिम आदेश के अधीन तथा परिवर्तनीय होगा।

सर्वसम्बन्धित सूचित हों।

(राधे श्याम यादव)
जनपद न्यायाधीश
बाराबंकी
04.06.2021

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय बाराबंकी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सीमित न्यायालय द्वारा ही केवल नवीन संस्थित आवश्यक प्रार्थना पत्रों की सुनवाई वर्चुअल मोड/ विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से की जा रही है। इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसर में अधिवक्तागण एवं वादकारियों का प्रवेश पूर्णत: वर्जित है, तथा प्रत्येक न्यायालय में एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को न्यायालय परिसर में आने की अनुमति है। उक्त के दृष्टिगत जनपद बाराबंकी के समस्त पारिवारिक न्यायालयों में पूर्व से सुनवाई हेतु नियत वादों में निम्नानुसार सामान्य तिथि नियत की जा रही है।

क्रमांक	पूर्व नियत तिथि	अग्रिम नियत सामान्य तिथि
1	14.06.2021	07.08.2021

नोडल अधिकारी कम्प्यूटर / सिस्टम आफिसर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सर्वसम्बंधित सूचित हो।

प्रभारी प्रधान न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय,
बाराबंकी।
14.06.2021